मध्यप्रदेश विधान सभा में दिनांक 14 दिसम्बर 2015 को पारित पुरःस्थापित रूप में.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १९ सन् २०१५

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) अधिनियम, २०१५ है.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्र. ११ सन् १९९०) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ४ में,—

(एक) उपधारा (१) में, खण्ड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(ग) आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश.";

(दो) उपधारा (२) में, शब्द "संचालक, चिकित्सा सेवा (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज)" के स्थान पर, शब्द "आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश" स्थापित किए जाएं.

अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की अनुसूची में, विद्यमान प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

"बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर.	बैचलर ऑफ मेडिसिन एन्ड बैचलर ऑफ सर्जरी	एम.बी.बी.एस.".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

वर्ष २००९-१० में बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर में एम.बी.बी.एस. उपाधि पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में छात्रों को प्रवेश दिया गया था. इन छात्रों ने वर्ष २०१४ में एम.बी.बी.एस. उपाधि पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है और वर्ष २०१५ में प्रशिक्षुता (इंटर्नशिप) पूर्ण कर ली है. बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर, राज्य के किसी विश्वविद्यालय से संबद्ध न होने के कारण बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण इन छात्रों को मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन कराने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. अतएव, बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय, सागर से एम.बी.बी.एस. उत्तीर्ण इन छात्रों के, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में, पंजीयन के लिए मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७ (क्रमांक ११ सन् १९९०) की अनुसूची में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं. धारा ४ का संशोधन गौण प्रकृति का है जिसके लिए किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ७ दिसम्बर, २०१५

डॉ. नरोत्तम मिश्र
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, १९८७

(क्रमांक ११ सन् १९९०) से उद्धरण.

* * * * * *

४. (१) परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) राज्य चिकित्सक रजिस्टर में नामांकित व्यक्तियों द्वारा अपने में से निर्वाचित पांच सदस्य,

(ख) पांच सदस्य जो राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार नाम निर्दिष्ट किये जाएंगे:—

(एक) इंडियन मेडिकल एसोसियेशन, मध्यप्रदेश राज्य शाखा द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले पांच व्यक्तियों के पेनल में से उक्त एसोसियेशन की राज्य शाखा का एक प्रतिनिधि,

(दो) राज्य में के विश्वविद्यालयों के आयुर्विज्ञान संकायों के सदस्यों में से एक सदस्य,

(तीन) मध्यप्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं (मध्यप्रदेश हेल्थ सर्विसेज) में से दो सदस्य जो प्रथम वर्ग का पद धारण करते हों, जिनमें से एक महिला डॉक्टर होगी,

(चार) राज्य में के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों में से एक का संकायाध्यक्ष (डीन),

(ग) संचालक, चिकित्सा सेवाएं, मध्यप्रदेश (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज, मध्यप्रदेश)

(२) संचालक चिकित्सा सेवायें (डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज) परिषद् का अध्यक्ष होगा और संकायाध्यक्ष, परिषद् का उपाध्यक्ष होगा,

* * * * * *

अनुसूची

[धारा २ (घ) देखिये]

आयुर्विज्ञान संस्था जिसके द्वारा प्रदान की गई है (१)	मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हताएं (२)	रजिस्ट्रीकरण के लिए संक्षेपाक्षर (३)
राबर्टसन मेडिकल स्कूल, नागपुर	रूरल मेडिकल प्रेक्टिशनर डिप्लोमा इन मेडिकल प्रेक्टिस	आर.एम.पी. डी.एम.पी.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.